न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 19/2021(GCMS : 2021/35)

पंजाब नेशनल बैंक शाखा–सतराना, नई मंडी घडसाना जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री निशांत खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **मैसर्स मंडीवाल ब्रदर्स** जरिये प्रो. श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री भागीरथ
(1) दुकान नं. 122, धान मंडी, नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
(2) वार्ड नं. 06, चक 12 जीडी, पी.ओ. 1 एसकेएम, घड़साना, श्रीगंगानगर (राज.)
2. **श्री राजेश्वर पुत्र श्री भागीरथ**
3. **श्री अंकित पुत्र श्री भागीरथ**
निवासी वार्ड नं. 06, चक 12 जीडी, पीओ 1 एसकेएम, घडसाना, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा एवं अप्रार्थी इन्द्रसैन(पत्रावली में पक्षकार नहीं) के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2021 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण मैसर्स मंडीवाल ब्रदर्स– प्रो. प्रवीण कुमार, राजेश्वर एवं अंकित** को ऋण सुविधा के रूप में कुल 50.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पचास लाख रूपये मात्र) का ऋण दिनांक 28.07.2017 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रवीण कुमार, राजेश्वर एवं अंकित की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 129 (क्षेत्रफल 800 वर्गफीट) सैक्टर वर्कशॉप मार्केट, नई मण्डी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.01.2019 को अनुत्पादक आस्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.11.2022 को 65,57,525/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.02.2019 से भिजवाये गये है। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणीं द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई अप्रार्थीगण प्रवीण कुमार, राजेश्वर एवं अंकित की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 129 (क्षेत्रफल 800 वर्गफीट) सैक्टर वर्कशॉप मार्केट, नई मण्डी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स मंडीवाल ब्रदर्स–प्रो. प्रवीण कुमार, राजेश्वर एवं अंकित को 50.00/– लाख** रूपये (अखरे रूपये पचास लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.07.2017 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण प्रवीण कुमार, राजेश्वर एवं अंकित की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 129 (क्षेत्रफल 800 वर्गफीट) सैक्टर वर्कशॉप मार्केट, नई मण्डी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.01.2019 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 02.02.2019** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.02.2019 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध **है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।** इसलिए प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बैंक ने ऋण की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी फर्म की व जमानतदारों की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्तियों का कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

अप्रार्थी इन्द्रसेन जरिये अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई द्वारा स्वतः की उपस्थित आकर प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियां की है, उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संदर्भ में 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य के पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:—

14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.
15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision o Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.
16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.
17. In view of the above discussions, reliefs sought for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed. There Shall be no order as to costs.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नही है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी **ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना 02.08.2021 में गई आपत्तियों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता** और एआईआर 2012 गुजरात 90 के अनुसार भी किसी के अधिकारों को तय करने का इस न्यायालय को कोई अधिकार नही है और एआईआर 2011 बॉम्बे 32 के अनुसार भी किसी भी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने का भी इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में प्रार्थी ऋणी फर्म द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2021 विचार करने योग्य नहीं है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थीगण प्रवीण कुमार, रामेश्वर एवं अंकित की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 129 (क्षेत्रफल 800 वर्गफीट) सैक्टर वर्कशॉप मार्केट, नई मण्डी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के [illegible] जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का [illegible] और [illegible] और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.02.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 02.02.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.02.2019 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी महावीर प्रसाद के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण प्रवीण कुमार, राजेश्वर एवं अंकित ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 129 (क्षेत्रफल 800 वर्गफीट) सैक्टर वर्कशॉप मार्केट, नई मण्डी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2023.08.22 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर